छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2014.

क्रमांक एफ 30/94/2014/20-3 : राज्य में माध्यमिक शिक्षा के संचालन हेतु छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 लागू किया गया है तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा राज्य शासन के अनुमोदन से माध्यमिक शिक्षा परिनियम (रेग्यूलेशन) 1967 लागू किया गया है। इनमें राज्य शासन, माध्यमिक शिक्षा मण्डल एवं उनके अधिकारियों के कर्त्तव्यों एवं दायित्वों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की गतिविधियों के संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश तय किये गये हैं।

(2) माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिनियम 1967 अध्याय x की कण्डिका 49 में पाठ्यचर्या समिति के दायित्वों का वर्णन है तथा कण्डिका 49 में प्रावधान है कि :-

The duties of the Curriculum Committee shall be:-

(a)------------------------

(j) "to decide the equivalancy of Examinations Conducted by Board/Universities and other Examining bodies."

(3) राज्य शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1698/विद्योचित/2012 रायपुर, दिनांक 07.11.2012 से "बोर्ड आफ स्कूल एवं तकनीकी एजूकेशन, छत्तीसगढ़" बिलासपुर नामक संस्था को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मण्डल की अस्थाई समकक्षता प्रदान की गयी है। प्रकरण से संबंधित अभिलेखों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिनियम 1967 का परिशीलन करने के उपरान्त यह परिलक्षित होता है कि किसी भी बोर्ड/विश्वविद्यालय अथवा परीक्षा लेने वाली संस्था की समकक्षता के संबंध में निर्णय करने का अंतिम अधिकार मण्डल की पाठ्यचर्या समिति को प्रदान किया गया है परन्तु प्रश्नांकित प्रकरण में पाठ्यचर्या समिति द्वारा प्रश्नांकित संस्था को कोई समकक्षता प्रदान नहीं की है और न ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव पाठ्यचर्या समिति की बैठकों में प्रस्तुत किया गया। मण्डल के अधिकारियों द्वारा नियमों के विपरीत कार्य करते हुए प्रश्नांकित संस्था को "अस्थाई समकक्षता" प्रदान की गयी, जिसका कोई प्रावधान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 अथवा माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिनियम 1967 में नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रों द्वारा इस आशय की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है कि उक्त संस्था के संचालकों द्वारा छात्रों को गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है एवं कई संस्थानों द्वारा उक्त संस्था द्वारा जारी अंकसूची को फर्जी बताया जा रहा है। इस तरह से कथित रूप से समकक्षता प्राप्त इस बोर्ड द्वारा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।

(4) उपरोक्त तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त राज्य शासन छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965 की कण्डिका 9(5) में राज्य शासन को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से छात्रहित में छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा जारी पत्र क्रमांक 1698/विद्योचित/2012

रायपुर, दिनांक 07.11.2012 से ''बोर्ड आफ स्कूल एवं तकनीकी एजूकेशन, छत्तीसगढ़'' बिलासपुर को छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदान की गयी अस्थाई समकक्षता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को निर्देश देता है कि प्रश्नांकित संस्था की जांच कर माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही यथाशीघ्र करते हुए शासन को अवगत कराएं। मण्डल के अधिनियम 8(fff) के परन्तुक के प्रावधानों के अनुरूप ''बोर्ड आफ स्कूल एवं तकनीकी एजूकेशन, छत्तीसगढ़'' बिलासपुर में आज दिनांक तक पंजीकृत समस्त छात्रों को छ0ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की आगामी आयोजित होने वाली पूरक परीक्षा (माह जुलाई-अगस्त 2014) में प्राइवेट छात्र के रूप में सम्मिलित होने की व्यवस्था करें। छात्रहित में इस आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

11.3.14
(दिनेश श्रीवास्तव)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. कमांक एफ 30/94/2014/20-3 **नया रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2014.**

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, नया रायपुर
2. अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
3. निज सचिव, अध्यक्ष, छ.ग.मा.शि.मं. रायपुर की ओर सूचनार्थ
4. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय रायपुर
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
6. ✓ सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़/समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व संबंधित..को पालनार्थ।

सचिव 11.3.14
स्कूल शिक्षा विभाग